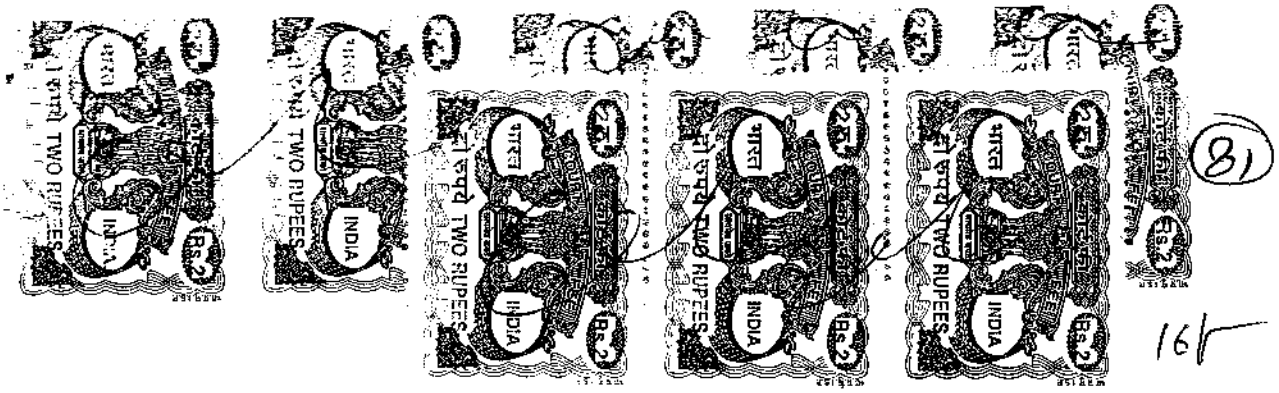

(81)

16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R-151-I/2011 /2011 जिला–अशोक नगर

रूप सिंह पुत्र श्री रामरतन, निवासी ग्राम बरखेड़ा जमाल, तहसील मुंगावली, जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

(1) मंगल पुत्र श्री रनधीर
(2) धनसिंह,
(3) लक्ष्मीनारायण
पुत्रगण श्री नन्नूलाल,
समस्त निवासीगण बरखेड़ा जमाल, तहसील मुंगावली, जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

2/2/11
अवर सचिव
राजस्व मण्डल
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 287/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बरखेड़ा जमाल, तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 203/1 में से रकवा 1.45 हेक्टेयर भूमि का आवंटन अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 को तहसील मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 93/अ/19/99–2000 द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2000 द्वारा किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 60/03–04 प्रस्तुत की गई थी। यह अपील इस आधार पर की गई थी कि विवादित भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 का कब्जा काश्त करके जमीदारी समय से चला आ रहा है। मौके पर उसका कब्जा है तथा उसके पिता ने उक्त भूमि पर कठोर परिश्रम करके पढ़त भूमि को आबाद किया है। इस हेतु उनके द्वारा काफी शारीरिक श्रम एवं आर्थिक व्यय किया गया है। विवादित भूमि पर काफी पुराने रिहायशी मकाने बने हुए हैं एवं उनके पिता के द्वारा लगाये गये वृक्ष भूमि पर मौजूद हैं। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इन वैधानिक स्थितियों को नजर–अन्दाज कर जो बंटन आदेश अनावेदक

2.2.11
K.K. Dwivedi

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 151/एक/2011 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
10-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 287/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम बरखेडा, जमाल, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे नं.4/1/1 में से रकवा 0.695 है0 का आबंटन आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं किया गया और आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 मंगल द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 18.05.09 स्वीकार की जाकर आवेदक के हित में किया गया आबंटन निरस्त किया जाकर भूमि सर्वे क्रमांक 203/1 में से रकवा 1045 का आबंटन	

मंगल के हित में किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 10.01.2011 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक के हित में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि सर्वे क्रमांक 4/1/1 में से रकवा 0.695 है0 भूमि का आबंटन किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है। किन्तु मंगल द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.05.09 से आवेदक के हित में किया गया भूमि का आबंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त आदेश को चुनौती ही नहीं दी गयी थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश आवेदक के हितों तक निरस्त किये जाने योग्य है। इस तथ्य पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए उपरोक्त आदेश निरस्त कर आवेदक

की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदकगण का इस प्रकरण में कोई हित, निहित नहीं है और ना ही उनके सर्वे नम्बर के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि यहाँ केवल आवेदक द्वारा अपने भूमि आबंटन को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6– उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों से अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा दखलरहित अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सर्वे क्रमांक 4/1/1 में से रकवा 0.695 है0 का आबंटन किया गया था जिसके विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो गया है। अनावेदक क्रमांक 1 मंगल द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने की स्थिति में आदेश दिनांक 18.05.09 से आवेदक के हित में किया गया भूमि आबंटन सर्वे क्र0 4/1/1 में से रकवा 0.695 है0 का आबंटन निरस्त करते हुए भूमि सर्वे नं.203/1 में रकवा 1046 है0 में से रकवा 0.836 है0 का आबंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपील न किये जाने की दशा में आवेदक के हित में किया गया आबंटन निरस्त किये जाने का कोई अधिकार अपीलीय न्यायालय को नहीं

था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश आवेदक के हितों तक समाप्त किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.05.2009 आवेदक के हितों तक अपास्त किया जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 10.01.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक के हित में तहसील न्यायालय द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 4/1/1 रकवा 0.695 है0 का आबंटन विधिवत होने से स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने के निर्देश तहसील न्यायालय को दिये जाते हैं।

सदस्य